अनुदान संख्या 103 – युवा मामले और खेल विभाग
GRANT No. 103–DEPARTMENT OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	431,04,00		486,07,00	419,55,88	–66,51,12
पूरक	Supplementary	55,03,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					64,30,66
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–			9,26,00	. .	–9,26,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					8,86,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (6651.12 लाख रु.) अगस्त 2003, दिसम्बर, 2003 और फरवरी 2004 में प्राप्त किए गए 5503.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 14 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.6651.12 lakhs) exceeded the supplementary grants of Rs.5503.00 lakhs obtained in August, 2003, December, 2003 and February, 2004 and constituted 14 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads :-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2204'' खेलकूद तथा युवा सेवाएं	Major Head "2204" Sports and Youth Services				
मू.	O.	34738.00			
पू.	S.	3.00	29864.03	29715.65	–148.38
पु.	R.	–4876.97			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	3902.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–3902.00			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	3839.00			
पू.	S.	5500.00	11666.64	11610.76	–55.88
पु.	R.	2327.64			

(I) 7693.00 लाख रु. का प्रावधान ग्यारह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 7454.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "2204"-

(क) "गैर-छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम"-

(i) राष्ट्रीय पुनर्निर्माण कोर"- 1090.00 लाख रु. इस तथ्य के कारण थे कि स्कीम की समीक्षा/मूल्यांकन किया जा रहा था।

(ii) "किशोरों के कल्याण और विकास के लिए स्कीम"- 1530.00 लाख रु. स्कीम को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण थे।

(ख) "खेलकूद एवं खेल - एफ्रो एशियाई खेल"- 932.00 लाख रु. एफ्रो एशियाई खेलों के आयोजन के लिए आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार को निधियां अंतरित किए जाने और खेलों से संबंधित कोई अन्य मांग प्राप्त न होने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष "2552" - "अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों के

(I.) Provision of Rs.7693.00 lakhs remained wholly unutilised under eleven heads; of these Rs.7454.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2204" -

(a) "Youth Welfare Programmes for non-students"-

(i) "National Reconstruction Corps"- Rs.1090.00 lakhs - due to the fact that the scheme was under review/evaluation.

(ii) "Scheme for Welfare and Development of Adolescents"- Rs.1530.00 lakhs - due to non-finalisation of the scheme.

(b) "Sports and Games - Afro-Asian Games"- Rs.932.00 lakhs - due to transfer of funds to the State Government of Andhra Pradesh for conducting the Afro Asian Games and non-receipt of any other demands for the games.

(B) Major Head "2552" – "Other Expenditure– Provision for projects/schemes for the benefit of

लिए प्रावधान''- 3902.00 लाख रु. आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों में उपयोग के लिए कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष निधियां अभ्यर्पित किए जाने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष "2204'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "गैर-छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम - राष्ट्रीय एकीकरण कार्यक्रम''- 101.97 लाख रु. की बचत (450.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम का संशोधन किए जाने की वजह से राज्य सरकार को निधियां अंतरित किए जाने के कारण हुई।

(खा) "खेलकूद एवं खेल''-

(क) "ग्रामीण खेलकूद कार्यक्रम''- 887.00 लाख रु. की बचत (900.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकार के कुछ अभिकरणों से उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त न होने और वर्ष की पहली छमाही के दौरान व्यय की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(ख) "खेल परिसंघों को अनुदान''- 1127.60 लाख रु. की बचत (4400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निधियों का पुनर्विनियोग पुरस्कारों की स्कीम को किए जाने और वर्ष की पहली छमाही के दौरान व्यय की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(ग) "कृत्रिम परतों की आपूर्ति और संस्थापन संबंधी सहायता स्कीम''- 250.00 लाख रु. की बचत (450.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अनुदानग्राही संस्थाओं से उपयोग पत्र प्राप्त न होने और अन्य तकनीकी औपचारिकताओं के पूरा न होने की वजह से वर्ष की पहली छमाही के दौरान व्यय की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(घ) "राष्ट्रीय खेलकूद विकास निधि''- 130.54 लाख रु. की बचत (150.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अन्य संगठनों/निकायों से तुल्य अंशदान की संख्या कम होने की वजह से वर्ष की पहली छमाही के दौरान व्यय की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

North Eastern Region and Sikkim" – Rs.3902.00 lakhs – due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation in the schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of balance funds.

(II) Under Major Head "2204"— savings occurred under the following heads:-

(A) "Youth Welfare Programmes for non-students- National Integration Programmes"- saving of Rs. 101.97 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.450.00 lakhs) was due to transfer of funds to State Government on account of revision of the scheme.

(B) "Sports and Games" -

(a) "Rural Sports Programmes"- saving of Rs.887.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.900.00 lakhs) was due to non-receipt of utilisation certificates from some of the State Government agencies and slow progress of expenditure during the 1st half of the year.

(b) "Grants to Sports Federations"- saving of Rs.1127.60 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4400.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds to the scheme of awards and slow progress of expenditure during 1st half of the year.

(c) "Scheme of support for supply and installation of Synthetic Surfaces"- saving of Rs.250.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.450.00 lakhs) was due to slow progress of expenditure during 1st half of the year owing to non-receipt of utilisation certificates from grantee institutions and non-completion of other technical formalities.

(d) "National Sports Development Fund"- saving of Rs.130.54 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.150.00 lakhs) was due to slow progress of expenditure during 1st half of the year owing to less number of matching contribution from other organisations/bodies.

(ङ) "भारतीय खेल प्राधिकरण''- 1241.35 लाख रु. की बचत (12647.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(च) "उदीयमान खिलाड़ियों और सहायक कार्मिकों की सहायतार्थ स्कीम (इसका नाम बदल कर प्रतिभा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण स्कीम किया गया है)''- 307.57 लाख रु. की बचत (317.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें पहले जारी की गई राशि का अव्ययित शेष उपलब्ध रहने की वजह से वर्ष की प्रथम छमाही के दौरान व्यय की धीमी प्रगति होने के कारण हुईं।

(III) मुख्य शीर्ष "3601'' - "केन्द्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - खेलकूद और युवा सेवाएं - छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम - राष्ट्रीय सेवा स्कीम'' के अंतर्गत 127.41 लाख रु. की बचत (1900.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वर्ष की पहली छमाही के दौरान व्यय की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(IV) पांच शीर्षों के अंतर्गत 368.60 लाख रु. की बचतें हुई जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 10 प्रतिशत से 71 प्रतिशत से अधिक थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (3766.67 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत पूरक अनुदान प्राप्त करते समय और अनुदान की पूरक मांगों के अनुबंध-II द्वारा संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष "2204''-

(क) "निदेशन और प्रशासन - युवाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग''- 280.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 277.22 लाख रु. था।

(ख) "खेलकूद और खेल''-

(i) "विश्वविद्यालयों और कालेजों में खेलों और खेलकूद संबंधी अनुदानों की स्कीम''- 187.77 लाख रु.।

(e) "Sports Authority of India"- saving of Rs.1241.35 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.12647.00 lakhs); and

(f) "Scheme for Assisting Promising Sports persons and Supporting personnel (Renamed as Scheme relating to talent Research and Training)"-saving of Rs.307.57 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.317.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to slow progress of expenditure during the 1st half of the year owing to availability of unspent balance of previous release.

(III) Under Major Head "3601" – "Grants for Central Plan Schemes - Sports and Youth Services-Youth Welfare Programmes for Students-National Service Scheme"- saving of Rs.127.41 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1900.00 lakhs) was due to slow progress of expenditure during the 1st half of the year.

(IV) Under five heads savings of Rs.368.60 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting more than 10 percent to 71 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (Rs.3766.67 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grants and vide Annexure-II to Supplementary Demands for Grants under the following major heads:-

(A) Major Head "2204"-

(a) "Direction and Administration - National Commission for Youth"- Rs.280.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.277.22 lakhs.

(b) "Sports and Games"-

(i) "Scheme of grants for games and sports in Universities and Colleges"- Rs.187.77

तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 188.13 लाख रु. था।

(ii) ''मादक औषधि (डोप) परीक्षण के लिए स्कीम''- 250.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 249.75 लाख रु. था।

(iii) ''खेलों के संवर्धन के लिए प्रोत्साहनों से संबंधित स्कीम''- 390.50 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 388.25 लाख रु. था।

(iv) ''पुरस्कारों से संबंधित स्कीमें''- 1762.81 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1762.19 लाख रु. था।

(खा) मुख्य शीर्ष ''3601''-

(क) ''योजनेतर अनुदान - खेलकूद और युवा सेवाएं - खेलकूद और खेल - एफ्रो-एशियाई खेल''- 800.00 लाख रु.।

(ख) ''केन्द्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - खेलकूद और युवा सेवाएं - गैर-छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम - राष्ट्रीय एकीकरण का संवर्धन''- 95.59 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 92.83 लाख रु. था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2204''-

(क) ''निदेशन और प्रशासन - नेहरू युवा केंद्र संगठन''- 103.00 लाख रु. का अधिक व्यय (4577.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीम में उपयोग के लिए संबंधित कार्यात्मक शीर्ष को किए जाने के कारण हुआ।

(ख) ''खेलकूद और खेल - खेलकूद छात्रवृत्ति स्कीमें (खेलकूद प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति स्कीम की संशोधित स्कीम)''- 124.30 लाख रु. का अधिक व्यय (383.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552''

lakhs. Actual excess, however, was Rs.188.13 lakhs.

(ii) "Scheme for Dope Test"- Rs.250.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.249.75 lakhs.

(iii) "Scheme relating to incentives for promotion of Sports – Rs.390.50 lakhs. Actual excess, however, was Rs.388.25 lakhs.

(iv) "Schemes relating to awards"- Rs.1762.81 lakhs. Actual excess, however, was Rs.1762.19 lakhs.

(B) Major Head "3601"-

(a) "Non-Plan Grants - Sports and Youth Services - Sports and Games - Afro-Asian Games"- Rs. 800.00 lakhs.

(b) "Grants for Central Plan Schemes - Sports and Youth Services – Youth Welfare Programme for Non-Students - Promotion of National Integration"- Rs.95.59 lakhs. Actual excess, however, was Rs.92.83 lakhs.

(II) The savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2204" –

(a) "Direction and Administrations – Nehru Yuva Kendra Sangathan" – excess of Rs.103.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4577.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to concerned functional head for utilisation in the schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(b) "Sports and Games – Sports Scholarship Schemes (Revised Scheme of Sports Talent Search Scholarship Schemes)" – excess of Rs.124.30 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.383.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head

से पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीम में उपयोग के लिए संबंधित कार्यात्मक शीर्ष को किए जाने और साथ ही छात्रवृत्ति के लिए पात्र व्यक्तियों के अधिक होने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" - "केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - खेलकूद और युवा सेवाएं - खेलकूद और खेल - खेलों की आधारभूत सुविधाओं के सृजन के लिए अनुदानों की स्कीम"- 1606.34 लाख रु. का अधिक व्यय (1300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष " 2552" से पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों में उपयोग के लिए संबंधित कार्यात्मक शीर्ष को किए जाने और साथ ही अवसंरचनाओं के लिए अधिक प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईः-

"2552" to concerned functional head for utilisation in the schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and also on account of more eligible persons for scholarship.

(B) Major Head "3601" – "Grants for Central Plan Schemes – Sports and Youth Services – Sports and Games – Scheme of grants for creation of Sports Infrastructures" – excess of Rs.1606.34 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1300.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to concerned functional head for utilisation in the schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and also on account of receipt of more proposals for infrastructures.

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4202" शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4202" Capital Outlay on Education, Sports, Arts and Culture				
मू.	O.	926.00	40.00	. .	–40.00
पु.	R.	–886.00			

(I) 926.00 लाख रु. का प्रावधान चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 842.00 लाख रु. निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत "खेलकूद और युवा सेवाएं" के अंतर्गत थे:-

(का) "युवा छात्रावास - केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/अन्य अभिकरणों को अदायगी"- 240.00 लाख रु. तकनीकी कारणों से प्रस्तावों को स्वीकृत न किए जाने के कारण थे।

(खा) "अन्य व्यय - राज्य खेल अकादमी"- 602.00 लाख रु. स्कीम को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण थे।

(I) Provision of Rs.926.00 lakhs remained wholly unutilised under four heads; of these Rs.842.00 lakhs was under "Sports and Youth Services" - under the following heads:-

(A) "Youth Hostels - Payment to CPWD/Other agencies" – Rs.240.00 lakhs – due to non-clearance of proposals owing to technical reasons.

(B) "Other Expenditure – State Sports Academy" – Rs.602.00 lakhs – due to non-finalisation of the scheme.